भारत गणराज्य की सरकार और

उक्रेन की सरकार के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल-कृद और समाचार जगत के क्षेत्रों में सहयोग पर करार

भारत गणराज्य की सरकार और उकेन की सरकार जिन्हें इस करार में इसके बाद "पक्ष" कहा गया है,

पंतिहासिक और परम्परिक मैत्री के विचारों से प्रेरित होकर,

दोनों पक्षों के बीच संस्कृति, कला, श्विक्षा, पर्यटन, खेल-कृद और समाचार जगत के क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग को विकसित और मजबूत करने की अपनी इच्छा की घोषणा करते हुए,

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं:

# अनुच्छेद एक

दोनों पक्ष संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, सेल-कूद और समाचार जगत के क्षेत्रों में सहयोग रखने और मजबूत करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।

# अनुच्छेद दो

दोनों पक्ष अपने-अपने शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेल-कृद और अनुसंधान संस्थाओं के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने, सहयोग करने और संबंधों के विकास को समर्थन देने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।

# अनुच्छेद तीन

प्रत्येक पक्ष जहां तक उनके अपने संसाधन और आवश्यकताएं अनुमति देंगी

अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंघान कार्य और विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा अनुशीसत राष्ट्रिकों को स्वीकार करेगा।

## अनुच्छेद चार

प्रत्येक पक्ष अपने-अपने देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार, दूसरे देश के नागरिकों को वैज्ञानिक कार्य, अध्ययन और इस करार के अनुरूप अन्य प्रयोजनों के लिए पुस्तकालयों, गैलरियों, अभिलेखागारों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं में जाने की सुविधा प्रदान करेगा।

## अनुच्छेद पांच

दोनों पक्ष इस करार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने देश के कानूनों के अनुसार अपने-अपने देशों में सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

# अनुच्छेद छह

दोनों पक्ष दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक प्राधिकरणों दारा दी गई उपाधियों, डिप्लोमों तथा प्रमाणपत्रों को उनके द्वारा परस्पर मान्यता देने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

# अनुच्दछेद सात

दोनों पक्ष सिनेमायेग्राफी, दूरदर्शन और प्रसारण सिंहत जन-सम्पर्क माध्यमों से संबंधित गीतिविधियों में दोनों देशों के बीच सहयोग को संबर्धित करेंगे।

# अनुच्छेद आठ

दोनों पद्म दोनों देशों के बीच लेल-कूद के क्षेत्र में सहयोग को यथासंभव संवर्धित करेंगे।

# अनुच्छेद नौ

दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को यथासंभव संबर्धित करेंगे।

## अनुच्छेद दस

दोनों पक्ष इस करार की श्वर्तों को लागू करने के लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करने के लिए स्वयं को वचनबद करते हैं।

## अनुच्छेद ग्यारह

इस करार की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष एक ग्रुप बनाने के लिए सहमत हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष के बराबर-बराबर संख्या में प्रतिनिधि होंगे। इस ग्रुप के उद्देश्य नीचे दिए अनुसार होंगे:

- अवान-प्रदान का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, और
- [स] करार के कियान्वयन की आविधक समीक्षा करना।

इस ग्रुप की बैठकें आवश्यकतानुसार की जाएंगी।

## अनुच्छेद बारह

यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू होगा और पांच वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगा। इसकी अविध आगामी पांच वर्षों के लिए स्वतः बढ़ जाएगी वशर्ते कि दोनों पर्कों में से कोई पक्ष इसके समाप्त होने की तारीख से छह माह पूर्व इसको समाप्त करने के अपने निर्णय की सूचना दूसरे पक्ष को न दे दे। आज नई दिल्ली में 27 मार्च, 1992 को हिन्दी, अंग्रेजी और उकेनी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्फन, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

भारत गणराज्य की सरकार

Maarie

की ओर से

माधवसिंह सोलंकी

उक्नेन की सरकार

की ओर से

आनातोली एम 0 ज्लेंको

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE SPHERES OF CULTURE, ARTS, EDUCATION, TOURISM, SPORTS AND MASS MEDIA

The Government of the Republic of India and the Government of Ukraine hereinafter referred to as "Parties",

Moved by the historical and traditional feelings of friendship.

Declaring their intention to develop and strengthen friendship and cooperation between both Parties in the spheres of culture, arts, education, tourism, sports and mass-media,

HAVE agreed on the following:

### Article I

The Parties declare their desire to maintain and strengthen cooperation in the fields of culture, arts, education, tourism, sports and mass-media.

#### Article II

The Parties express their desire to promote mutual cultural exchanges, to stimulate cooperation and support the development of relations between the educational, scientific, cultural, sporting and research institutions of the two Parties.

#### Article III

Each Party will receive, as far as its own resources and requirements will permit, nationals recommended by the other Party for study, training, carrying out research work and specialization in its educational, cultural, scientific and technical institutions.

### Article IV

Each Party will, in accordance with its country's laws and regulations, provide citizens of the other country access to libraries, galleries, archives and other cultural institutions for scientific work, study and other purposes consistent with this Agreement.

#### Article V

The Parties will consider the question of establishing cultural institutes in their countries according to laws prevailing in each country, for achieving the objectives of this Agreement.

### Article VI

The Parties will endeavour to facilitate the mutual recognition, by universities and other educational authorities in the two countries, of the degrees, diplomas and certificates awarded by them.

#### Article VII

The Parties will promote cooperation between the two countries in media-related activities including cinematography, television and broadcasting.

### Article VIII

The Parties will promote, so far as possible, cooperation between the two countries in the field of sports.

#### Article IX

The Parties will promote, so far as possible, cooperation between the two countries in the field of tourism.

## Article X

The two Parties pledge themselves to take all appropriate measures to provide all possible facilities for giving effect to the terms of this Agreement.

### Article XI

For the purpose of carrying out the terms of this Agreement, the two Parties agree to set up a Group consisting of an equal number of representatives of each Party. The objectives of the Group will be:-

- a) to formulate a detailed programme of exchanges, and
- b) to keep under periodical review the implementation of the Agreement.

The Group shall meet as and when necessary.

## Article XII

The present Agreement shall come into force from the date of its signing and shall be valid for five years. Its term shall be automatically prolonged for a further period of five years if neither of the Parties notifies the other of its decision to terminate it 6 months in advance of the expiry date.

Signed at <u>New Delhi</u> on the <u>27th day of March 1992 A.D.</u> in duplicate in two originals sets in Hindi. English and Ukrainian, all the texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Washausu-

(MADHAVSINH SOLANKI)

FOR THE GOVERNMENT OF

UKRAINE

(ANATOLIY M. ZLENKO)